न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 49/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/51**

1. परमाराम पुत्र भींयाराम जाति जाट निवासी सिंजगुरू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. भगीरथ पुत्र रूधाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी सिंजगुरू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार, नोखा जिला बीकानेर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट — श्री प्रहलाद जाखड
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 — श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया

निर्णय

दिनांक 15.04.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 19.09.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि मौजा रोही सिंजगुरू तहसील नोखा जिला बीकानेर के खसरा नंबर 847 तादादी 10.0800 हैक्टयर भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी है तथा खसरा नंबर 850 तादादी 13.4000 हैक्टयर, खसरा नंबर 851 तादादी 1.5200 हैक्टयर, खसरा नंबर 856 तादादी 3.1700 हैक्टयर, खसरा नंबर 864 तादादी 0.4800 हैक्टयर व खसरा नंबर 866 तादादी 2.0900 हैक्टयर कुल तादादी भूमि 20.6600 हैक्टयर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थगरगढी हेतु प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने उक्त प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19.09.2022 द्वारा संबधित हल्का पटवारी को सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 से व्यथित होकर अपीलांट इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 847 तादादी 10.8000 हैक्टयर पर काबिज है। अपीलांट ने अपने उक्त रकबा के चारों तरफ पटिटयां लगा कर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तारबंदी की हुई तथा शुरू से ही अपनी भूमि पर ही काबिज हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, उसमें अपीलांट को पक्षकार ही नही बनाया तथा ना ही अपनी सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है, केवल अपीलांट को तंग व परेशान रकने की नियत से यह कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी सम्पूण्र भूमि का सीमाज्ञान न करवाकर केवल खसरा नंबर 851 व 856 का ही सीमाज्ञान करवा कर जानबूझ कर अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की नियत से यह सम्पूर्ण कार्यवाही की हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी भूमि के मध्य स्पष्ट सींव एवं माठ बनी हुई है, पटिटया व तारबंदी की हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अदालत मातहत के समक्ष सही तथ्य ही प्रस्तुत नहीं किये। अदालत मातहत ने भी इस और कतई गौर नही किया और बिना किसी प्रकार की जांच किए, बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किए, केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बहकावे में आकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई गलत व गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 850 तादादी 13.4000 हैक्टयर, खसरा नंबर 851 तादादी 1.5200 हैक्टयर, खसरा नंबर 856 तादादी 3.1700 हैक्टयर, खसरा नंबर 864 तादादी 0.4800 हैक्टयर व खसरा नंबर 866 तादादी 2.0900 हैक्टयर कुल तादादी भूमि 20.6600 हैक्टयर वाके रोही सिंजगुरू तहसील नोखा में स्थित है उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा अधिकार में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान पटवारी हल्का सिंजगुरू से करवाए जाने के लिए तहसीलदार नोखा को निवेदन किया। तहसीलदार नोखा के आदेश की पालनार्थ हल्का पटवारी मौके पर आए और खसरा नंबर 851 व 856 का सीमाज्ञान करवाकर मौके पर रेत के कच्चे निशानात दिए। इसी दौरान पड़ौसी मौके पर आ गए लेकिन पड़ौसी खातेदारान ने पटवारी हल्का द्वारा दिए गए कच्चे निशानात को मानने से इंकार कर दिया। अपीलांट झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है तथा पटवारी हल्का द्वारा 27.03.2022 को सीमाज्ञान करवाकर मौका पर मिट्टी के धाबे निशानात लगावाए जिन्हे अपीलांट ने मानने से इंकार कर दिया तथा आए दिन खेत की सीमा को लेकर विवाद तनाजा पैदा करते रहते है तथा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 द्वारा बाड़ इत्यादि करने पर लड़ाई झगड़ा करने को आमादा हो जाते है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कई बार अपीलांट को सीमाज्ञान करवाने के लिए सहमति हेतु निवेदन किया मगर सहमति से सीमाज्ञान करवाने को सहमत नहीं हुए तथा आए दिन खेत सीमाओं को लेकर वाद विवाद व तनाजा पैदा करते रहते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोख ने उक्त तथ्यों पर गौर करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य मानते हुए स्वीकार किया। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 पारित करते हुए तहसीलदार (भू.अ) नोखा के आदेश क्रमांक 159 दिनांक 15.03.2022 जिससे वादगत भूमि का सीमाज्ञान करवाया, उसी सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार योग्य माना हैं और साथ ही तहसीलदार नोखा को आदेश दिया की उक्त वादगत भूमि के पड़ौसी काश्तकारों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में, आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें एवं अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं हो ऐसी स्थिति में करवाये गये सीमाज्ञान की टीम व वर्तमान हल्का पटवारी से पत्थरगढी करावें और विदित रहे कि आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही संभलवाया जावे। इस प्रकार सभी पक्षों की मौजूदगी में पत्थरगढी किये जाने के आदेश को पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने कोई त्रुटि नही की है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर